Timelines (PARs 2025-26)

ई-मेल/स्पीड पोस्ट

संख्या-4/2026/I/1297851/2026-02-5099/43/2025

प्रेषक,

विजय कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, शासन।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव/ विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5- आई0ए0एस0 संवर्ग के शेष समस्त अधिकारी (नाम से)

नियुक्ति अनुभाग-5 **लखनऊ: दिनांक: 15.04.2026**

विषयः- **आई0ए0एस0 अधिकारियों की वर्ष 2025-2026 की APAR (वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) समय से पूर्ण किये जाने के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि अखिल भारतीय सेवा (निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियमावली-2007, (यथासंशोधित नियमावली-2019) के बिन्दु-9 (Schedule for completion of PARs of IAS Officers) में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट पूर्ण किये जाने हेतु निम्नलिखित प्राविधान हैः-

Activity	Cut-off dates	
	DUE DATE	AUTO FORWARD
Blank PAR form to be given to the officer reported upon by the Administration Division/Personnel Department, specifying the Reporting officer and Reviewing Authority.	1st April	--
Self appraisal for current year	31st May	1st June
Appraisal by Reporting Authority	31st July	1st August
Appraisal by Reviewing Authority	31st September	1st October
Appraisal by Accepting Authority	31st December	Auto closure On 31st December
Disclosure to the officer reported upon	31st December	--

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि AIS (PAR) Rules, 2007 यथासंशोधित नियमावली-2019 के बिन्दु-9 (Schedule for completion of PARs of IAS Officers) में उल्लिखित प्राविधान का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संज्ञान लेते हुए कृपया इन प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2025-2026 की APAR पर निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत संबंधित अधिकारी यथा officer reported upon, Reporting Authority, Reviewing Authority व Accepting Authority द्वारा अपेक्षित कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. नियुक्ति अनुभाग-1/6/8, 30प्र0 शासन।
2. संबंधित स0अ0 कृपया उक्त आदेश को shasnadesh.up.gov.in पर भी अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

http://hsaaehu.o

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Timelines (PARs 2025-2026)

प्रेषक,

विजय कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अध्यक्ष,राजस्व परिषद उ0प्र0, लखनऊ। 2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/ विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 4- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी , उ0प्र0।
5- आई0ए0एस0 संवर्ग के शेष समस्त अधिकारी (नाम से)

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 15-04-2026

विषयः- आई0ए0एस0 अधिकारियों की वर्ष 2025-2026 की APAR (वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) समय से पूर्ण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि अखिल भारतीय सेवा (निष् पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियमावली-2007,(यथासंशोधित नियमावली-2019) के बिन्दु-9(Schedule for completion of PARs of IAS Officers) में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट पूर्ण किये जाने हेतु निम्नलिखित प्राविधान हैं :-

Reporting Year – Financial Year

Activity	Cut-off dates	
	DUE DATE	AUTO FORWARD
Blank PAR form to be given to the officer reported upon by the Administration Division/ Personnel Department, specifying the Reporting officer and Reviewing Authority	1st April	--
Self appraisal for current year	31st May	1st June
Appraisal by Reporting Authority	31st July	1st August
Appraisal by Reviewing Authority	31st September	1st October
Appraisal by Accepting Authority	31st December	Auto closure on 31st December
Disclosure to the officer reported upon	31st December	--

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि AIS (PAR) Rules, 2007, यथासंशोधित नियमावली-2019 के बिन्दु-9.(Schedule for completion of PARs of IAS Officers) में उल्लिखित प्राविधान का संज्ञान लेते हुए कृपया इन प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2025-2026 की APAR पर निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत संबंधित अधिकारी यथा-officer reported

upon, Reporting Authority, Reviewing Authority व Accepting Authority द्वारा अपेक्षित कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
VIJAY KUMAR
Date: 15-04-2026
15:29:11

(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. नियुक्ति अनुभाग-I/6/8, उ0प्र0 शासन।
2. संबंधित स0अ0 कृपया उक्त आदेश को **shasnadesh.up.gov.in** पर भी अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय कुमार)
विशेष सचिव।